न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/78

1. देवराज सिंह आयु 49 वर्ष आत्मज श्री भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. खान सिंह आयु 40 वर्ष आत्मज श्री भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. केशव सिंह आयु 35 वर्ष आत्मज श्री भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. हेम कंवर आयु बालिग पुत्री श्री भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. उम्मेद कंवर आयु बालिग पुत्री श्री भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
6. बृज कंवर बालिग पुत्री श्री भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
7. राजेन्द्र कंवर पुत्री श्री भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. भंवर सिंह आत्मज श्री नरपत सिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. कंचन कंवर पुत्री श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. नजक सिंह आत्मज श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. मूल सिंह (पटवारी) आत्मज श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. मोहन कंवर पत्नी श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
6. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री हनुमान प्रसाद बैरागी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री विनय सक्सेना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 24.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 19.04.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम औनार की झौपडियॉ तहसील व जिला बून्दी में कुल 21 किता की कुल रकबा 144 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के पिता भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह आत्मज चन्दनसिंह के पिता चन्दन सिंह आत्मज भोपाल सिंह के खाते एवं कब्जे की भूमि है । उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 73/1 रकबा 15 बीघा भूमि नवीन बन्दोबस्त में प्रतिवादी कम 06 के कर्मचारियों ने प्रतिवादी कम 01 से मिली भगत करके उक्त भूमि को प्रतिवादी कम 01 के खाते में दर्ज कर दिया जिसके सेटलमेंट के पश्चात् नवीन खसरा नम्बर 156, 157, 158, 159, 160 व 161 बने हैं । प्रतिवादी कम 01 ने वादीगण के दादा चन्दन सिंह व वादीगण के पिता श्री भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह के विरूद्ध माननीय न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था जिसें न्यायालय ने खारिज फरमाया था । उक्त भूमि को वादीगण शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । सेटलमेंट अधिकारियों ने गलत तरीके से वादीगण के दादा चन्दन सिंह की भूमि को प्रतिवादी कम 01 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया । उक्त भूमि का प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 ने मिली भगत आपस में विभाजन करवा लिया । उक्त भूमि पर वादी अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि गलत तरीके से प्रतिवादी कम 01 के नाम दर्ज कर दिये जाने से वे उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्य प्रकार से अन्तरण करने पर आमादा हैं । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे स्वयं को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करावे तथा प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 73/1 रकबा 15 बीघा जिसके नवीन खसरा नम्बर 156, 157, 158, 159, 160 व 161 रकबा 15 बीघा का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 5 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित कर उक्त भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें तथा राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का इन्द्राज नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.04.2021 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2021 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण अपीलान्ट के दादा चन्दन सिंह वल्द भोपाल सिंह के खाते में 144 बीघा 09 बिस्वा भूमि दर्ज है जिसमें वादग्रस्त आराजी का पुराना खसरा नम्बर 73/1 रकबा 15 बीघा भी दर्ज है । इस जमाबन्दी में वादीगण के पितामह अकेले ही खातेदार दर्ज हैं । उक्त भूमि वर्तमान में रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के खाते दर्ज हो जाने से उसने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 28/1979 अपीलान्ट के दादा एवं पिता के विरूद्ध प्रस्तुत किया था जो दिनांक 22.03.1983 को खारिज कर दिया गया । इस निर्णय में वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादीगण अपीलान्ट का माना गया था । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादीगण अपीलान्ट का है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज दर्ज रजिस्टर की गईं । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोडेन्ट के खिलाफ परीक्षण न्यायालय में एक दावा अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता के खाते एवं कब्जे की है । नकल जमाबन्दी संवत् 2023–26 के अनुसार कुल 21 किता की 144 बीघा 09 बिस्वा आराजी ग्राम औनार की झौपडियां में स्थित है । इस आराजी में से खसरा नम्बर 73/1 रकबा 15 बीघा भूमि सेटलमेंट विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से प्रतिवादी क्रम 01 के खाते में दर्ज कर दी गई है । सेटलमेंट के बाद इसके नये नम्बर 156, 157, 158, 159, 160, 161 बने हैं । इस आराजी के बाबत् एक दावा प्रतिवादी क्रम 01 ने धारा 188 एवं 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था जो सन् 1983 में खारिज हो गया है । इस निर्णय में इस आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का माना गया है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं है। परीक्षण न्यायालय के द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 04 तनकीयात कायम की थी । अपीलान्ट ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल, उपखण्ड अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय पेश किये । अपीलान्ट ने जो मौखिक साक्ष्य पेश की, उससे भी यह सिद्ध होता है कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्टगण का है । रेस्पोडेन्ट यह सिद्ध नहीं कर पाये हैं कि यह आराजी उनके खाते में किस आधार पर दर्ज हुई है । गवाह मदनलाल ने आराजी पर जिरह में अपीलान्ट का कब्जा होना स्वीकार किया है । भवाना भील ने न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र गलत तथ्यों पर दिया गया है आराजी पर अपीलान्ट का ही कब्जा है । फौजदारी मुकदमे में भी अपीलान्ट का कब्जा माना गया है । वादग्रस्त आराजी के तन्हा खातेदार चन्दन सिंह थे । प्रतिवादी को इसमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है । वादी यह सिद्ध नहीं कर पाये हैं कि खसरा नम्बर 73/1 के नये नम्बर कौन से बने हैं । मिलान क्षेत्रफल में मिन नम्बर अंकित हैं इनसे यह प्रमाणित नहीं होता है कि 73/1 के नये नम्बर कोन से बने हैं । चन्दन सिंह वादग्रस्त आराजी के जागीरदार थे और जगीरदारी से यह आराजी प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के खाते में लगी है । जब तक अपीलान्ट के पिता एवं दादा जिन्दा थे तब तक उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का है । जो फौजदारी मुकदमे की बात करते हैं उसमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2021 बहाल रखा जावे ।

10. अपीलान्ट ने अपील में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लेने का कथन किया ।

11. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के निर्णय दिनांक 22.03.1983 की प्रमाणित प्रति, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 03.05.1986 की प्रमाणित प्रति, थानाधिकारी द्वारा पुलिस उप अधीक्षक को जारी पत्र की प्रति और थानाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को जारी पत्र की प्रतियॉ हैं । पेश किये गये दस्तावेज में से उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के निर्णय, राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय और थानाधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र की प्रतियॉ हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । निर्णय प्रकरण से सम्बन्धित हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसका जवाब प्रतिवादीगण की ओर से दिया गया है । दावे के समर्थन में वादी की ओर से नकल जमाबन्दी संवत् 2023–26 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत् 2069–72 प्रदर्श–3, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2028–31 प्रदर्श–4, पेश की गई हैं ।

13. प्रतिवादी की ओर से दस्तावेजात में नक्शा ट्रेस की प्रति प्रदर्श– ए–1, नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 प्रदर्श– ए–2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श– ए–3, नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 नया खाता संख्या 55 प्रदर्श– ए–4, नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 नया खाता संख्या 45 प्रदर्श–ए–5, नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 नया खाता संख्या 22 प्रदर्श– ए–6, नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 नया खाता संख्या 58 प्रदर्श– ए–7, बून्दी जिला सहकारी विकास बैंक का पत्र प्रदर्श– ए–8, खसरा गिरदावरी प्रदर्श– ए–9 पेश किये गये हैं ।

14. वादी की ओर से बयान देवराज सिंह, हमीरा कराये गये हैं । बयानात पर पीडब्ल्यू नम्बर अंकित नहीं हैं ।

15. प्रतिवादी की ओर से बयान मूल सिंह, भंवर सिंह, मदन लाल, महावीर कराये गये हैं । इन बयानात पर भी डीडब्ल्यू नम्बर अंकित नहीं हैं ।

16. वादी के द्वारा यह कथन करते हुए दावा पेश किया गया है कि खसरा नम्बर 73/1 उनके पूर्वजों की है जो सेटलमेंट विभाग के द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से प्रतिवादी के खाते में दर्ज की गई है । इस क्रम में पेश की गई नकल जमाबन्दी संवत् 2023—26 में साबिक खसरा नम्बर 73/1 चन्दनसिंह के खाते में अन्य खसरा नम्बरान के साथ दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रदर्श— 2 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 73 मिन के साथ अन्य खसरा नम्बरान को शामिल करते हुए खसरा नम्बर 156, की 10 बीघा 16 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 73 मिन के साथ अन्य खसरा नम्बरान को शामिल करते हुए खसरा नम्बर 157 की 05 बीघा 15 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 73 मिन के साथ अन्य खसरा नम्बरान को शामिल करते हुए खसरा नम्बर 158 की 05 बीघा 09 बिस्वा और साबिक खसरा नम्बर 73 मिन के साथ साबिक खसरा नम्बर 74 मिन को शामिल करते हुए हाल खसरा नम्बर 159 की 04 बीघा 19 बिस्वा आराजी साबिक खसरा नम्बर 73 मिन के साथ अन्य खसरा नम्बरान को शामिल करते हुए हाल खसरा नम्बर 160 की 04 बीघा 18 बिस्वा और साबिक खसरा नम्बर 73 मिन के साथ अन्य खसरा नम्बरान को शामिल करते हुए हाल खसरा नम्बर 161 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा आराजी कायम की गई है और प्रदर्श— 3 नकल जमाबन्दी के अनुसार हाल खसरा नम्बर 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 और 163 कुल 08 किता की रकबा 47 बीघा 06 बिस्वा आराजी भंवर सिंह के खाते में दर्ज है । वादी ने जो मिलान क्षेत्रफल की नकल पेश की है इसमें खसरा नम्बर 73 मिन के साथ अन्य खसरा नम्बरान को शामिल करते हुए नये खसरा नम्बर बनाये गये हैं औंर जो कुल रकबा है उसमें अगर खसरा नम्बर 163 और 162 को जो खसरा नम्बर 74 मिन से बना है उनको हटा दिया जावे तो शेष खसरा नम्बरान का कुल रकबा 38 बीघा 14 बिस्वा है । वादी का यह कथन है कि खसरा नम्बर 73/1 का रकबा प्रतिवादी के खाते में दर्ज किया गया है और उनके द्वारा दावे की सहायता में खसरा नम्बर 156, 157, 158, 159, 160 और 161 की 15 बीघा आराजी पर खातेदारी मांगी है जबकि खसरा नम्बर 156, 157, 158, 159, 160 और 161 का रकबा 38 बीघा 14 बिस्वा इनमे से कौनसे खसरा नम्बर के कितने रकबे पर खातेदारी चाही है उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है ।

17. वादी के द्वारा न तो साबिक एवं हाल खसरा नम्बरान को प्रदर्शित करते हुए नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की है और न ही काई ऐसी रिपोर्ट तहसील की पेश की है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि हाल खसरा नम्बर 156, 157, 158, 159, 160 और 161 में से प्रत्येक खसरा नम्बर में 73/1 का कितना रकबा शामिल किया गया है । मिलान क्षेत्रफल में इन नम्बरान के पुराने नम्बर 73 मिन के साथ अन्य खसरा नम्बरान के मिन नम्बर भी शामिल हैं । वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है । इस प्रकार वादी अपने दावे को दस्तावेजी साक्ष्स से सिद्ध नहीं पाये हैं । जहॉ तक वादी के द्वारा प्रतिवादीगण का दावा खारिज होने का कथन किया है प्रतिवादी के स्थायी निषेधाज्ञा का दावा खारिज होने के आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते और न ही कब्जे के आधार पर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जा सकता है । वादी को संदेह से परे यह सिद्ध करना होगा कि सेटलमेंट विभाग के द्वारा उनके खाते की आराजी प्रतिवादी के खाते में किस—किस खसरा नम्बर में कितनी शामिल की गई है जो कि वादी दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतया प्रमाणित नहीं कर पाये हैं । तद्नुसार परीक्षण न्यायालय ने दावा वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि

नहीं की है । अतः हम परीक्षण न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2021 बहाल रखा जाता है ।

19. निर्णय आज दिनांक 24.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/9/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2021/78

1. देवराज सिंह आयु 49 वर्ष आत्मज श्री भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. खान सिंह आयु 40 वर्ष आत्मज श्री भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. केशव सिंह आयु 35 वर्ष आत्मज श्री भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. हेम कंवर आयु बालिग पुत्री श्री भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. उम्मेद कंवर आयु बालिग पुत्री श्री भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
6. बृज कंवर बालिग पुत्री श्री भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
7. राजेन्द्र कंवर पुत्री श्री भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. भंवर सिंह आत्मज श्री नरपत सिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. कंचन कंवर पुत्री श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. नजक सिंह आत्मज श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. मूल सिंह (पटवारी) आत्मज श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. मोहन कंवर पत्नी श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
6. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2021 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 197/दावा/2016

1. देवराज सिंह आयु 49 वर्ष आत्मज श्री भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. खान सिंह आयु 40 वर्ष आत्मज श्री भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. केशव सिंह आयु 35 वर्ष आत्मज श्री भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. हेम कंवर आयु बालिग पुत्री श्री भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. उम्मेद कंवर आयु बालिग पुत्री श्री भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
6. बृज कंवर बालिग पुत्री श्री भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
7. राजेन्द्र कंवर पुत्री श्री भंवर सिंह उर्फ नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. भंवर सिंह आत्मज श्री नरपत सिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. कंचन कंवर पुत्री श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. नजक सिंह आत्मज श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. मूल सिंह (पटवारी) आत्मज श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. मोहन कंवर पत्नी श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी औनार जी की झौपडियॉ तहसील एवं जिला बून्दी ।
6. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2021 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 24.09.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री हनुमान प्रसाद बैरागी एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 01 लगायत 5 की ओर से अभिभाषक श्री विनय सक्सेना के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2021 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 24.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

24/9/2021

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा